

जापांक नं. - ४९४

अनुसूची ३१-पत्र संख्या ११२।

Date - 11/4/24

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. 769/2024  
 बैंक की. Axis Bank Ltd Ambala आवेदन सं. 769/2024  
 संविधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों पर और अवभारों का स्वीकार प्रपत्र-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये हस्त के अनुसार विवरण से)


इसलिप में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पत्तियों और अवभारों के बारे में इसी में और उक्त सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 2011 से 11/4/24 तक तलाश की गई और ऐसी तालाशी के बाद निम्न सम्पत्तियों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं.	क) संविधि का विवरण	निष्पादन की तारीख	ख) रस्तावेज नं. और मूल्य	पक्षों के नाम		रस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति विवरण		
				निष्पादक	रासेदार	जिल्द सं.	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Muzan No-08, Gosalbela, new chada no-1217, New Musm-1780, Area-16.5 Acre							
<i>mill</i>								

क) रस्तावेज को अनुसार विवरण दर्ज करें। Bidyut Roy  
 ख) प्रपत्र-पत्र की दशा में आज की वर और पुस्तिका की सामग्री दर्ज करें। इसी, कि इनके बारे में उल्लेख हो।  
 ग) पक्षों की दशा में पक्षों की अविधि और वैधिक सामग्री दर्ज करें।


में यह की प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सत्यकार और अद्वारा से जोर, जहाँ सापत्ति की प्रमाणित करने वाले किताब  
अन्य संघर्षकार और अद्वारा का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र जारी किया :

(हस्ताक्षर) 

(पदनाम) - Clerk

तलाशी का सापत्न और प्रमाणपत्र की जोर निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) 

(पदनाम) - Clerk

फर्यालय Dist Sub Registrar Alwar  
Dhanbad

तारीख 11/4/24



नियन्त्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संघर्षकार और अद्वारा दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा गथा प्राप्त सापत्ति दिखाने के अनुसार  
पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सापत्तियों की निरूपित दस्तावेजों  
में दिखाया गया हो; तो वेही दस्तावेजों से प्रमाणित संघर्षकार (ग्रामनेवशान्ता) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) नियन्त्रण अधिनियम की धारा १७ के अधीन जो व्यक्ति बहिष्कृत और अनुकमणियों (इन्डेपेंडेंट) की प्रविष्टियों देखाया जायेंगे  
हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि लेगा चाहते हो अथवा जिन्हे विनिश्चित सापत्तियों के अद्वारा के प्रमाणपत्रों की जरूरत  
हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। चिकित्सा कीस का पुनर्गठन करने पर बहिष्कृत और अनुकमणियों उनके सापत्ते रख दी  
जायेगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है; इसलिए फर्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने परतार  
सापत्तानी से की है। फिर भी दिनाम प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की विरती भूत के लिए विरती की तरह  
जिन्हेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उपरोक्त पत्र में सत्यकार और  
अद्वारा के सापत्न के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए दिनाम आवेदक को न किये गये ऐसे प्रमाणपत्रों  
और अद्वारा की छूट के लिए विरती की तरह जिन्हेवार न होगा जिससे उक्त सापत्ते पर प्रभाव पड़ता है।

Searched made by me.

Rohit Roy